हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

तेरहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 129

शुक्रवार, 23 दिसम्बर, 2016/02, पौष, 1938(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

<u>प्रश्नोत्तर</u> :

(i) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 2657, 3264 व 3451 तथा तारांकित प्रश्न संख्या 3644 से 3646 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 3647 से 3677 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिये गये समझे गये।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1539 से 1560 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गये।

12.00 PM

प्रश्नकाल समाप्त होते ही विपक्ष के सदस्य, श्री रिखी राम कौंडल ने कहा कि हमारे तीन माननीय सदस्यों को इस विधान सभा से निलम्बित किया गया। वह इस माननीय सदन से निलम्बन है, दस्तखत करने के लिए निलम्बन है। कल भी उनको गेट पर रोक दिया गया। हमारे विधायक दल के नेता और हम सभी विधायक वहां गए, उनको ले कर साथ आए। आज भी उनको गेट पर रोक दिया गया। यह तानाशाही प्रवृत्ति क्या प्रजातंत्र में शोभा देती है? प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष ने उनकी बात का समर्थन किया तथा कहा कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने अधिकारियों को आदेश दीजिए कि उनको अन्दर आने दिया जाए। वे हाउस में न आएं मगर कैम्पस में अपने अपोजिशन लाँज में बैठें। वे अपोजिशन लाँज मे तो बैठ सकते हैं। इस तरह की डिक्टेटरशिप का तो हम विरोध करेंगे।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित निर्णय दिया :-

"मेरी तरफ से ऐसी कोई इन्टैंशन नहीं है। I am acting according to the rules. मेरा बनाया हुआ कोई रूल नहीं है, रूल आप लोगों ने बनाये हैं। Direction No.139 (2) में स्पष्ट है, The precincts of Vidhan Sabha Bhawan, Tapovan, Dharamshala - Vidhan Sabha Bhawan Main Building, Ministerial Block, area from main reception gate to main gate in front of main building - this is the premises of the Vidhan Sabha. And when we say that somebody is expelled from Vidhan Sabha, it is from the gate to the main building and ministerial block. We have done it according to law. यह जो निर्णय लिया गया है, यह बिल्कुल ठीक है।"

(माननीय अध्यक्ष की बात से असन्तुष्ट विपक्ष ने नारे लगाते हुए 12.20 बजे अपराह्न सदन से वाक आउट किया।)

12.30 PM

2. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने** हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5, वर्ष 2016 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री ने** कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्री राकेश कालिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति के **262वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 18वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **79वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 112वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **64वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) में शामिल ऑडिट पैरा संख्याः 3.4 से 3.7 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **65वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 24वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **13वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2008-09) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति का **31वां मूल प्रतिवेदन** जोकि प्रदेश में संचालित वृद्धावस्था पेन्शन योजना तथा वृद्धों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की गतिविधियों की संविक्षा पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

(4) **श्री कुलदीप कुमार, सदस्य, मानव विकास समिति, (वर्ष 2016-17) ने** समिति का **21वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 18वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधानसभा)(वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

नियम-62 के अन्तर्गत श्री विजय अग्निहोत्री व श्री गोविन्द राम शर्मा के दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखे गए थे लेकिन माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण उनको प्रस्तुतिकरण हेतु सदन में नहीं लिया गया।

5. मन्त्री द्वारा वक्तव्यः

(i) **श्रीमती विद्या स्टोक्स, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने** दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को विधान सभा में उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3566 से सम्बन्धित अतिरिक्त सूचना बारे वक्तव्य दिया।

(ii) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मंत्री ने** दिनांक 22-12-2016 को विधान सभा क्षेत्र चौपाल की ग्राम पंचायत बमटा के कशाह गांव में मकानों में लगी आग बारे वक्तव्य दिया।

6. विधायी कार्य :

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया** कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) पर विचार किया जाये।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक,2016(2016 का विधेयक संख्यांक 22) पारित हुआ।

(ii) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) पर विचार किया जाये।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) पारित हुआ।

(iii) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21)) पर विचार किया जाये।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 व 3 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री द्वारा प्राधिकृत श्री मुकेश अग्निहोत्री, उद्योग मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पारित हुआ।

(iv) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन)विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पर विचार किया जाये।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 व 4 विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पारित हुआ।

(v) **श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने** प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री द्वारा प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 25) पारित हुआ।

7. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः

श्री अजय महाजन, माननीय सदस्य की ओर से नियम-324 के अन्तर्गत विषय उठाया गया समझा गया तथा सम्बन्धित मंत्री द्वारा उसका उत्तर दिया गया समझा गया।

सत्र की समाप्ति पर सदन के नेता तथा माननीय मुख्य मंत्री, श्री वीरभद्र सिंह ने विधान सभा की कार्यवाही को सफलतापूर्वक चलाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय की सराहना की तथा बधाई दी। उन्होंने सदन के सभी सदस्यों तथा प्रदेशवासियों को नव वर्ष व क्रिसमस की शुभकामनाऐं दी।

माननीय अध्यक्ष ने सत्र के समापन पर निम्न शब्दों में अपने उद्‌गार प्रकट किएः-

"इस सत्र की 5 बैठकें आयोजित हुई। बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा एवं वाद-विवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने जो चर्चा के विषय उठाये और जो सार्थक सुझाव दिए उनके लिए वे बधाई के पात्र है। मैं मान्य सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय में ई-विधान के शुरू होने पर माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सहयोग के कारण इस सत्र में सरकारी विभागों द्वारा प्रश्नों के उत्तर online ही उपलब्ध करवाये गये तथा उत्तर की एक भी hard copy नहीं ली गई है।

नियम 101 के अन्तर्गत 2 गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए इनमें से एक संकल्प पर सार्थक चर्चा की गई और दूसरा संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया, जिस पर चर्चा सदन के निर्णय अनुसार आगामी सत्र में की जाएगी। नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े महत्वपूर्ण एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई तथा बहुमूल्य सुझाव दिए गए।

अन्त में मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ कि आपने सभा की कार्यवाही के सुचारू संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। विशेष तौर पर सदन के माननीय नेता श्री वीरभद्र सिंह और प्रो0 प्रेम कुमार धूमल माननीय नेता विपक्ष जो इस सदन में नहीं है का खासतौर पर धन्यवादी हूं उन्होंने इस सदन के संचालन में सहयोग और मार्ग दर्शन दिया। माननीय मन्त्रीगण एवं सदस्यों द्वारा भी सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया गया है।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का भी आभारी हूँ जिन्होंने सदन के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। प्रेस के बन्धुओं और प्रिन्ट मिडिया के साथियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं।

इस सत्र के दौरान कुल मिलाकर 248 तारांकित तथा 120 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। 5 सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं पारित किये गए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से एक विषय सदन में उठाया गया तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना सदन का दी गई। समितियों के भी 24 प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किये गये। इसके अतिरिक्त मन्त्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज़ भी सभा पटल पर रखे गये।

हमारे विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों एवं सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दिन रात सेवाएं दी, वे भी प्रंशसनीय है। मैं सभा की ओर से क्रिसमस एवं नव वर्ष, 2017 की बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।"

(राष्ट्रीय गीत गाया गया)

(अपराह्न 1.05 बजे सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)